न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः–113/2019/दावा

1. महावीर प्रसाद पुत्र श्री भागूराम
2. राजपाल पुत्र श्री भागूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण श्रीरामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादीगण

बनाम

1. भागूराम पुत्र लिछमणराम
2. भंवरी देवी पत्नि भागूराम
3. कमलेश देवी पुत्री भागूराम
4. पतासी देवी पुत्री भागूराम
5. पप्पू देवी पुत्री भागूराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण श्रीरामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः

1. श्री बंशीधर बाज्या वकील वादीगण की ओर सें।
2. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर सें।

निर्णय **दिनांक 25.11.2019**

1. वाद में वादीगण का कथन व वादसार इस प्रकार है कि विवादित कृषि आराजियात खसरा नम्बर 69 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 105 रकबा 1.17 है0, ख0नं0 106 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 269/107 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 274/104 रकबा 2.75 है0 किता 5 कुल रकबा 4.92 है0 तन ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियां वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की संयुक्त पैत्रिक कृषि भूमियां है। जो पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के दादा व प्रतिवादी संख्या 2 के ससुर एवं प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

संख्या 1 के पिता स्व0 लिछमण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी में पूर्वजों के समय सें बजमाना जागीर में दर्ज चली आ रही है। उक्त स्व0 लिछमण के फौत हो जाने पर उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में विरासत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है। विवादित भूमियां भागूराम पुत्र लिछमण के नाम दर्ज खातेदारी भूमियों में वादीगण का 1/7, 1/7 हिस्सा पैत्रिक है। वादीगण अपने उक्त पैत्रिक हक हिस्से पर काबिज है तथा अपने हिस्से की भूमियों में काबिज रहकर निरन्तर व निर्बाध रूप सें उपयोग उपभोग कर रहे है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 70 वर्षीय अति वृद्ध व्यक्ति है जिनको आंखों सें कम दिखाई देता है तथा वृद्धावस्था के कारण सुनने एवं समझने की शक्ति नहीं रही है तथा इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्यज्ञ 2 ता 5 वादीगण सें द्वेषता रखने वाले लोगों ने मिलकर वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को बहकाकर अपने प्रभाव में कर रखा है तथा विवादित भूमियों में सें उनके पैत्रिक हक हिस्सा नहीं देकर हड़पने की कुचेष्ठा कर रहे है तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर बेदखल करने एवं उपयोग उपभोग करने में हस्तक्षेप कर रहे है। अगर प्रतिवादीगण अपने कपटपूर्ण इरादे में कामयाब हो गये तो वादीगण की एकमात्र पैत्रिक संपति उसके अधिकार सें छिन जावेगी। वादीगण एवं उसका परिवार बेघर हो जावेगा। वादीगण को भारी असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी बाद में कानून में किसी भी प्रकार सें संभव नहीं है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित फरमाया जावे। वादकारण 15 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा वादीगण को उसके पैत्रिक हक हिस्से की भूमियों पर काश्त करने सें रोकने व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित भ्ज्ञूमियों को अन्य

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

लोगों को बेचान करने की धमकी दिये जाने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप सें जारी है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर विवादित भूमियों में सें वादीगण को उनके हिस्से 1/7, 1/7 पैत्रिक हक व हिस्से का काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन व अमल दरामद करने के आदेश फरमाये जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर सें वकील श्री हरदेवाराम सुण्डा हाजिर आये। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया गया। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। राजीनामे का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण की वाद में सहमति के आधार पर वादीगण का वाद प्रथम दृष्ट्या स्वीकार होने योग्य है। प्रतिवादीगण की सहमति पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद में उद्घोषणा इस प्रकार की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 69 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 105 रकबा 1.17 है0, ख0नं0 106 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 269/107 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 274/104 रकबा 2.75 है0 किता 5 कुल रकबा 4.92 है0 तन ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी संख्या 1 को 1/7 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/7 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को प्रत्यक को क्रमशः 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार उद्घोषित किया

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

जाता है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार मुद्रांक शुल्क राजकोष में जमा कर निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

महावीर प्रसाद आदि बनाम भागूराम आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

मुकदमा नं0 113 / दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 25.11.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री बंशीधर बाज्या** मिनजानिब मुद्दई व श्री हरदेवाराम सुण्डा मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर सें पेश राजीनामे के आधार पर अंतिम डिकी इस प्रकार सें जारी की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 69 रकबा 0. 39 है0, ख0नं0 105 रकबा 1.17 है0, ख0नं0 106 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 269 / 107 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 274 / 104 रकबा 2.75 है0 किता 5 कुल रकबा 4.92 है0 तन ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी संख्या 1 को 1/7 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/7 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को प्रत्येक को कमशः 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार उद्घोषित किया जाता है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार मुद्रांक शुल्क राजकोष में जमा कर निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा नियमानुसार मुद्रांक शुल्क राजकोष में जमा कर उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.11.2019 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा

मोहर

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फ़ीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00			
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ

Scanned by CamScanner